FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **मलसीसर**

सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर बनाम **अशोक** वगैरह

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम मु0न0 **52** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.24	आज यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मलसीसर की ओर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल प्रार्थना पत्र जारी होकर पत्रावली वास्ते तलवी आईन्दा दिनांक 09.10.2024 को पेश हो। पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक को पेश हो।	
23/4/25	पत्रावली तारीख पेशी से हटकर आज दिनांक को पेश हुई। प्रार्थी द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। अतः TDR मलसीसर को वर्तमान मौका स्थिति की जांच हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 22/5/25 को पेश हो। पुनश्च: प्रार्थी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है जो शामिल मिसल हो।	
22/5/25	**पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 12/8/25 को पेश हो**	
12/8/25	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है पुनः रिपोर्ट ली जावे। मिसल बाद रिपोर्ट दिनांक 8/9/25 को पेश हो।	
8/9/25	**पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 29/9/25 को पेश हो**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/9/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा 19/11/25 को पेश हो	
19/11/25	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है परन्तु रिपोर्ट न्यायालय के पत्रांक 546 दिनांक 1.9.25 के अनुसार नहीं है तदनुसार रिपोर्ट मिलवाने हेतु पुनः तह. मलसीसर को लिखा, जावे पत्रावली रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो।	
7/1/26	तहसीलदार मलसीसर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली तारीख पेशी पर ली गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि विवादित आराजी पर पक्का निर्माण है मौके पर कोई पत्थर नहीं डाले हुये है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान पर आदिनांक को कोई व्यवसायिक गतिविधि चालु नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मलसीसर की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम धनूरी स्थित भूमि ख0न0 582 रकबा 0.10 है0 बारानी के खातेदार अशोक कुमार पुत्र रामकुमारसिंह जाति जाट निवासी जैतपुरा ने बिना विधि सम्मत संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि का दुकाने, पत्थरों का बाड़ा बनाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। इसलिये खातेदार के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है वह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य हेतु नहीं किया गया है। आवास बाबत पक्का निर्माण तथा पशुओं का बाड़ा इत्यादि कार्य किया गया है। मौके पर से पत्थर हटा लिये गये है। आईआरसी नियमानुसार सड़क मध्य में आने वाली भूमि को छोड़कर शेष भूमि का रूपान्तरण करवाने बाबत रास्ते की भूमि का राजहक में समर्पण कर दिया है। शेष भूमि 142 वर्गमीटर का नियमानुसार रूपान्तरण करवा लिया गया है। वर्तमान में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी राजस्व जमा करवाकर सभी शर्तों की पालना को तैयार है। इसलिये जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के उद्देश्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी ने आईआरसी नोर्म्स में आने वाली भूमि को छोड़कर शेष 142 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया जा चुका है। प्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर निर्मित पक्के निर्माण का व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा है तथा मौके से पत्थर आदि हटा लिये गये है। समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।	